

76/स्यू/१८
12/11/18

(31.12.2017 की स्थिति में)



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **पूजा उदासी**

2. वर्तमान धारित पद **प्रतिवेदक**

3. वर्तमान वेतन बेसिक पे 56100+ डी.ए.+ एच.आर.ए.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम- रिसाली, भिलाई जिला- दुर्ग छ.ग.	फ्लैट	720 sq.ft.	वर्तमान अनुमानित मूल्य 15 लाख रूपये	स्वयं के नाम पर	फ्लैट सितंबर 2013 में श्री अजय तिवारी, भिलाई से एल.आई.सी.से गृह ऋण एवं स्वयं की बचत से क्रय किया गया	निरंक	
2. ग्राम- खजूरी कलान, तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल म.प्र	भवन	1035 sq.ft.	वर्तमान अनुमानित मूल्य 46 लाख रूपये	संयुक्त रूप से स्वयं एवं पति के नाम पर	भवन जून 2018 में तनिष्का कंसट्रक्टर, भोपाल से शासन से अनुमति लेकर एच.डी.एफ.सी. से गृह ऋण, पति की भविष्य निधि की राशि एवं स्वयं की बचत से क्रय किया गया	निरंक	स्वयं के निवास हेतु उपयोग

* जहां लागू न हो काट दीजिए.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम- पूजा उदासी
पद- प्रतिवेदक, म.प्र. विधान सभा

12/11/2018